

न्यायालय : सहायक कलेक्टर चित्तलवाना

वादी

बनाम

प्रतिवादी

गामनारायण पुत्र देवाराय,  
जाति-ब्राह्मण, नि- नारेश्वर,  
तह- चित्तलवाना

जीकाराम पुत्र भाईराम,  
ब्राह्मण, नि- नारेश्वर (जा)  
तह- चित्तलवाना

किस प्रकार : धारा 53, 188

रा0का0अधि0 1955

नुकदना संख्या : 20/18

वर्ष : 2018

2018/0028

सूचक हुक्म	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
25/5/18	<p>वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 53, 188 RT Act के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का क्रियान्वयन किया। दावा हर्ष शिस्तुर होकर प्रतिवादीगण से सम्मत जारी है। फावली डिग्री 22/6/18 की पेश है।</p> <p>वादी के वकील ने फावली तलब का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर फावली तलब की गई। वादी के वकील ने नोटिस कर दावा जारी नोटिस खारिज करने का निवेदन किया, जिस पर हुका गया। अतः वादी का वाद जारी वकील नोटिस के खारिज किया जाता है। फावली फैललशुआल एवं नम्बर से कम होकर प्राप्त प्रस्ताव है।</p> <p style="text-align: center;"><u>11/6/18</u></p>	<p>Not Press</p> <p style="text-align: center;">(ल)</p>